



विद्युत सुरक्षा निदेशालय

कार्यालय, उपनिदेशक, विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश शासन
गोरखपुर रीजन, गोरखपुर

संख्या: 24VSNOC03022043 वि0सु0/मध्यम विभव/एच0टी0/निरीक्षण, 2023-24

दिनांक: 09/07/2023

SRI ATUL SHYAM DEHKAR CO NCML BASTI PVT LTD

FCI NEAR TINICH RAILWAY STSTION BASTI

विषय :- विद्युतीय अधिष्ठापनों का प्रारंभिक निरीक्षण/परीक्षण।

प्राप्त :- आप का आवेदन पत्र संख्या VS2370995 दिनांक 06/07/2023

प्रिय महोदय,

कृपया निम्नांकित विद्युतीय अधिष्ठापन का निरीक्षण/परीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 09/07/2023 को करने पर उक्त विद्युतीय अधिष्ठापन विद्युत सुरक्षा की दृष्टि से सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (मेजर्स रिजेटेड टू सेपटी एण्ड इलेक्ट्रिक सप्लाई) रेगुलेशन 2010 के सुसंगत विनियमों का पालन करता हुआ पाया गया। अधिष्ठापन में किसी भी परिवर्तन की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराते हुये पुनः निरीक्षण कराया जाये।

क्र० सं०	उपकरण	मेक	क्षमता	वोल्टता	सीरियल नम्बर	मात्रा
1	Transformer	VOLTAM TRANSFORMERS LIMITED	500 KVA	11000 V	JN 52396/1	1

विद्युतीय लोड के अधिष्ठापन का विवरण 288 किलोवाट।

टिप्पणी :

1. कृपया स्थल पर दिए गए निर्देशों के अनुसार अधिष्ठापन अनुरक्षित रखें। 2. ट्रांसफॉर्मर के समीप किसी भी प्रकार का storage/भंडारण न किया जाए 3- जनरेटरको निरीक्षण अनुमति के बाद ही उपयोग में लाया जाए। 4-अधिष्ठापन को प्रत्येक दशा में सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी स्वामी/उपयोगकर्ता की होगी।

MANOJ KUMAR SHARMA
उपनिदेशक ,

संख्या: 24VSNOC03022043वि0सु0/मध्यम विभव/एच0टी0/निरीक्षण, 2023-24,दिनांक।

उपरोक्त की प्रति लिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ०प० शासन, लखनऊ।
- संयुक्त निदेशक, विद्युतसुरक्षा, उ०प० शासन, लखनऊ।
- सहायक निदेशक, विद्युतसुरक्षा, उ०प० शासन बस्ती जिला।
- अधिसूची अभियन्ता, विद्युतवितरण खण्ड. बस्ती को इस आशय से प्रेषित कि निदेशालय की वेबसाइट

www.vidyutsuraksha.org से स्थापित करने के पश्चात ही संयोजन किया जाना सुनिश्चित करें।



MANOJ KUMAR SHARMA
उपनिदेशक

This document is Digitally Signed and नोट :- यह एन ओ सी केवल 3 वर्ष तक मान्य है। 3 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से एक माह पूर्व आप अपने अधिष्ठापन के नियतकालिक निरीक्षण हेतु विद्युत् सुरक्षा निदेशालय की वेबसाइट <https://www.vidyutsuraksha.org/> पर आवेदन करें। यदि आप द्वारा समय से नियतकालिक निरीक्षण नहीं कराया जाता है तो विद्युत् अधिनियम २००३ की धारा -146 के अंतर्गत तीन माह तक का कारावास या एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों दंडनीय होगा।

MANOJ KUMAR SHARMA
2023.07.09 17:19
I approve this document